छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण कमांक 169/2008 एवं शिकायत प्रकरण कमांक617/2008

1.	स्व0 श्री देवधर शर्मा, एवं श्री आशीष शर्मा, सिविल लाईन, गरियाबंद, जिला- रायपुर (छत्तीसगढ़)	-	अपीलार्थी

विरूद्ध

1.	जन सूचना अधिकारी, कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, पूर्व वन मण्डल, रायपुर (छत्तीसगढ़)	-	प्रति अपीलार्थी
2.	जन सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रभारी अधिकारी नारंगी क्षेत्र, ईकाई कमांक-2, पूर्व वन मण्डल रायपुर (छत्तीसगढ़)		

//आदेश//

(दिनांक 09 सितंबर, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी एवं शिकायतकर्ता श्री देवधर शर्मा द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, पूर्व वनमण्डल रायपुर के समक्ष दिनांक 02.11.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर जानकारी अपूर्ण मिलने उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 13.12.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। किन्तु प्रथम अपील में कोई निर्णय नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 28.01.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। लगभग इसी विषय पर उनके द्वारा जन सूचना अधिकारी, नारंगी क्षेत्र ईकाई कमांक-2, पूर्व रायपुर वन मण्डल, रायपुर के समक्ष दिनांक 02.01.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था, किन्तु उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 24.07.2008 को यह शिकायत प्रस्तुत की गई। चूंकि अपील एवं शिकायत दोनों का विषय एक ही है, पक्षकार एक ही है और तर्क भी समान प्रस्तुत किये गये थे, अत: दोनों प्रकरणों में एक ही आदेश पारित किये जा रहे हैं।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी श्री देवधर शर्मा का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री आशीष शर्मा को अपीलार्थी के रूप में सुना गया। प्रकरण में अपीलार्थी की ओर से बताया गया कि उन्हें पूर्व में अपूर्ण एवं असत्यापित जानकारी दी गई थी, अत: सर्वप्रथम उन्हें जानकारी सत्यापित करके दिये जाने एवं शेष जानकारी भी पूर्ण दिये जाने के निर्देश दिये गये। बाद में अपीलार्थी ने बताया कि बिन्दु कमांक-5 की जानकारी पूर्ण नहीं दी गई है, अत: निर्देश दिये गये कि वन विभाग एवं राजस्व विभाग दोनों में जानकारी मिलना चाहिए, अत: उसे दोनों के संबंधित कार्यालय में ढूंढ़ा जावे तथा जानकारी का नि:शुल्क निरीक्षण कराया जाकर नि:शुल्क दी जावे। प्रकरण में विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के लिए जन सूचना अधिकारी को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया तथा बाद में तहसीलदार, गरियाबंद एवं अधीक्षक, भू-अभिलेख को भी सुनवाई के लिए बुलाया गया और आयोग द्वारा यह निर्देश दिये गये कि राजस्व एवं वन दोनों विभागों के संयुक्त दल द्वारा संबंधित भूमि का सीमांकन

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

कराया जाकर अपीलार्थी द्वारा चाही गई सभी बिन्दुओं पर सही एवं स्पष्ट जानकारी एक माह में नि:शुल्क प्रदान की जावे। बाद में संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण/सीमांकन किया जाना बताया गया और जिसके प्रतिवेदन की प्रति भी अपीलार्थी को दिये जाने के निर्देश दिये गये, जो आयोग के समक्ष बाद में अपीलार्थी को प्रदान की गई। प्रकरण में अंतिम सुनवाई दिनांक तक इस प्रकरण में सही एवं स्पष्ट जानकारी अपीलार्थी को प्रदान नहीं की जा सकी थी, किन्तु अंतिम सुनवाई दिनांक के बाद दिनांक 28.08. 2009 को वन मण्डलाधिकारी, पूर्व वनमण्डल, रायपुर द्वारा एक पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि अब शेष जानकारी भी मिल गई है और उनके द्वारा यह बताया गया कि संबंधित वादग्रस्त भूमि वास्तव में पूर्व से वन विभाग की रही है तथा पटवारी द्वारा धान की खेती होना गलत तरीके से बताया जा रहा है और उसके संबंध में अब अधिसूचना की प्रति और पूराने रिकार्ड की प्रति भी मिल गई है, जिसे अपीलार्थी को दिखाई जा सकती है तथा जिसकी प्रति भी उन्हें दे दी जावेगी। अत: वन मण्डलाधिकारी को अब यह निर्देश दिये जाते हैं कि आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये गये पत्र की प्रति सहपत्रों के साथ अपीलार्थी को एक सप्ताह के अन्दर नि:शुल्क प्रदान की जावे, साथ ही जो पूरानी अधिसूचना की प्रति मिली है, वह भी उन्हें नि:शुल्क दिखायी जाकर, वह उन्हें नि:शुल्क दी जावे। चूंकि आयोग का कार्य केवल सूचना दिलवाना है और किसी के स्वत्वों के निर्धारण के बारे में आयोग कोई कार्यवाही नहीं कर सकता, इसके लिए तो अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में ही वाद प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकरण में यह भी स्थिति सामने आयी है कि पटवारी ने संबंधित भूमि हाथबाय वनखण्ड, वनपरिक्षेत्र, गरियाबंद में धान की फसल होना बताया गया है, जो कि वन विभाग द्वारा किये गये सीमांकन की स्थिति के विपरित है तथा इस प्रकरण में कोई रजिस्ट्री होकर भूमि विक्रय होना एवं पट्टा होना भी बता रहे हैं। अत: इस प्रकरण में कलेक्टर, रायपुर को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे तहसीलदार, गरियाबंद से इस संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करे और तहसीलदार, गरियाबंद, वनमण्डलाधिकारी, पूर्व वनमण्डल, रायपुर तथा अपीलार्थी तीनों को बुलाया जाकर उनकी सुनवाई कर विस्तृत जाँच करें। यदि किसी पटवारी अथवा उप पंजीयक द्वारा इस संबंध में त्रुटि होना पाया जाता है तो उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा-20(2) के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा भी की जाती है। चूंकि इस प्रकरण में जानकारी छिपाने की कोई दुर्भावना नहीं है, अत: जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है। प्रकरण में विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 1000/- रूपये प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाता है और शिकायत प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com